(111) (13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के.मिश्रा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1409/चार-08 विरूद्ध आदेश दिनांक 03-10-2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 299/06-07.

धोखिया कोरी पुत्री कोदुआ कोरी पत्नी ठाकुरदीन कोरी
निवासी- ग्राम रैगवा, तहसील उचेहरा
हाल पता- कैमोर जिला कटनी (म0प्र0)

.....आवेदक

बनाम

1. तिजिया पुत्री कोदुआ कोरी पत्नी विश्रामदीन कोरी
   निवासी कोरवारा तहासील उचेहरा जिला सतना मध्यप्रदेश
2. बाबूलाल तनय सुखदेव
3. बसन्तलाल तनय सुखदेव
4. मनसुखलाल तनय सुखदेव
5. रज्जू तनय सुखदेव
6. रमेश तनय सुखदेव
   निवासी- बेरसा तहसील मैहर जिला सतना मध्यप्रदेश
7. आशा पुत्री सुखदेव कोरी
   निवासी- नैगवा, तहसील मैहर जिला सतना
8. ऊषा पुत्री सुखदेव कोरी पति अशोक कोरी
   निवासी- गिरगिटा पोस्ट मेहर जिला सतना मध्यप्रदेश

.....अनावेदकगण

श्री ए.के. अग्रवाल अधिवक्ता, आवेदक
श्री के.के. व्दिवेदी अभिभाषक , अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 03-10-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदिका द्वारा बसीयतनामा के आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहां पर नामांतरण पंजी क्रमांक-30 में दिनांक 29-01-86 को नामांतरण आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जहां पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर बसीयत का विधिवत परीक्षण कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। तहसीलदार उचेहरा ने प्रकरण क्रमांक 48/अ-6/05-06 में पारित आदेश दिनांक 30-6-06 में वसीयत प्रमाणित न होना नहीं पाया और वारिसाना नामांतरण के आदेश दिये । तहसीलदार उचेहरा के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के समक्ष पुनः अपील प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 170/अपील/2005-06 को दर्ज कर दिनांक 27-10-2006 को आदेश पारित कर यह अपील निरस्त की गयी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 3-10-2008 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि 21 वर्ष बाद वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वसीयत को गवाहों से सिद्ध नहीं हुई है। तहसीलदार के समक्ष वसीयत प्रमाणित नहीं होने से तहसीलदार ने वारिसाना नामांतरण के आदेश दिये हैं। तहसीलदार ने दोनों वसीयत की जांच उपरांत विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं

होती है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में ऐसे कोई नये तथ्य पेश नहीं किये है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03-10-2008 स्थिर रखा जाता है।

23/01/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर